सर्वोदय प्रेस सर्विस

बुलेटिन

साप्ताहिक सर्वोदय समाचार विचार सेवा, 29 संवाद नगर, नवलखा, इंदौर – 452001 (म.प्र.) फोन एवं फैक्स – (0731) 2401083

संस्थापक – सम्पादक : स्व. श्री महेन्द्रकुमार
कार्यकारी सम्पादक : चिन्मय मिश्र

E.mail - indoresps@gmail.com
sps2005@dataone.in

वर्ष : 7 (49), अंक 48, पृष्ठ संख्या : 10 प्रकाशनार्थ सप्रेस आलेख : 142, इंदौर, शुक्रवार 27 फरवरी 2009

(कृपया 02 मार्च 09 के पूर्व प्रकाशित न करें)

शेर बचाने के लिए मनुष्य का शिकार

बाबा मायाराम

मध्यप्रदेश सरकार ने सतपुड़ा टाईगर रिजर्व को संरक्षित करने के नाम पर न केवल नजदीक के जंगलों से हजारों पेड़ काट डाले हैं बल्कि वहां पहले से निवास कर रहे समुदाय की भूमि विस्थापितों को देकर आपसी संघर्ष और खून खराबे को प्रोत्साहित किया गया है। वैसे यह शोध का भी विषय है कि पिछले 150 वर्षों में जैसे–जैसे वनों से मनुष्यों को खदेड़ा गया वैसे–वैसे वन्यजीवों जिसमें शेर भी शामिल हैं, की संख्या में लगातार कमी आई है। का.सं.

मध्यप्रदेश के होशंगाबाद जिले की बाबई तहसील में स्थित डोबझिरना गांव के निवासियों ने चार वर्ष पूर्व देशवासियों को एक सार्वजनिक चिट्ठी भेजी थी। इसमें उन्होंने लिखा था, कि हम सतपुड़ा के पुराने बाशिन्दे हैं तथा हम किसी दूसरे देश से नहीं आए हैं और न ही हमने कोई जंगल काटा है। सरकार हमें हटाकर यहां जंगल भी नहीं लगाने वाली है। हम कहां जाएंगे? हमारा पेट कैसे भरेगा? क्या हमें जिंदा रहने का भी अधिकार नहीं है? क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या आदिवासियों को जमीन के एक टुकड़े का भी हक नही है? ये कुछेक सवाल इस देश के मूल निवासियों ने उठाए थे।

हाल ही मुझे डोबझिरना जाने और वहां के लोगों से मिलने का मौका मिला। वैसे तो यह गांव भी देश के अन्य गांव की तरह ही है लेकिन यहां के लोगों के जीवन पर अचानक सुनामी या भूकंप की तरह की मुसीबतें आ गईं हैं। फर्क सिर्फ इतना है ये प्राकृतिक नहीं, मानव निर्मित समस्याएं हैं। वनविभाग और सरकार ने इनकी खेती की जमीनें हाल ही में विस्थापित गांव धाई के लोगों को दे दीं हैं।

यहां पहले से निवास कर रहे कोरकू आदिवासी होशंगाबाद के पड़ौसी जिले छिंदवाड़ा के सातीआम गांव के हैं। करीब 20–25 साल पहले वे यहां रोजगार की तलाश में पहुंचे और धीरे–धीरे यहीं बस गए और खेती करने लगे। मक्का, कोदो, कुटकी, ज्वार व धान यहां की मुख्य फसलें हैं। उन्होंने अपने खेतों के आसपास स्थित फलदार पेड़ों को भी बचाया। कुल मिलाकर, उनकी गुजर–बसर होने लगी। इस दौरान किसी ने भी उन्हें खेती करने से नहीं रोका।

लेकिन उनकी जिंदगी में 2005 का वर्ष मुसीबत बनकर आया। उस वर्ष वनविभाग और सरकार ने यहां बसे लोगों से जमीनें छीन लीं और इनके खेतों को बोरी अभयारण्य के विस्थापित धाई गांव के निवासियों को दे दिया। धाई को टाईगर प्रोजेक्ट के तहत सरकार ने वहां से हटाकर डोबझिरना के पड़ोस में बसाया था और इतना ही नहीं इस बसाहट के लिए लगभग 50 हजार पेड़ भी काटे गए थे।

डोबझिरना के लोगों ने अपनी जिंदगी बचाने के लिए काफी संघर्ष किया। इस क्षेत्र में कार्यरत किसान आदिवासी संगठन व समाजवादी जनपरिषद के नेतृत्व में महात्मा गांधी द्वारा सुझाए रास्ते पर चलकर सत्याग्रह किया। उन्होंने अपने खेतों में खड़े होकर संकल्प लिया कि जमीन पर हमारा हक है और हम इसे नही छोड़ेंगे। 6 मई 2005 को वनविभाग और पुलिस का संयुक्त अमला दल–बल के साथ पहुंचा और खेतों में ट्रेक्टर चलाने लगा। जब गांववालों ने उन्हें ऐसा करने से मना किया तो पुलिस ने उन्हें लाठियों, लात–घूंसों से बहुत मारा–पीटा। पिटनेवालों में औरतें और मासूम बच्चे भी शामिल थे।

लेकिन गांववालों के अनुसार उन्होंने अपनी तरफ से न किसी को गाली दी, न किसी पर हाथ उठाया और न ही पत्थर फेंका। वे ट्रेक्टर रोकते रहे और

☐ बाबा मायाराम स्वतंत्र लेखक हैं। इन दिनों सीएसई द्वारा प्रदत्त फेलोशिप के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं।

मार खाते रहे। इसके बाद उन्होंने होशंगाबाद जिलाधीश कार्यालय में धरना भी दिया। भोपाल और दिल्ली तक भागदौड़ भी की पर वे अपनी जमीन नहीं बचा सके। उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया।

स्थानीय निवासी चेतराम का कहना है कि, ''जब धांई वाले शुरूआत में यहां जगह देखने और उसकी साफ–सफाई करने आए थे तो हमारे घर पर ही रुके थे। वे हमारे जाति के हैं और रिश्तेदार हैं। हमने उन्हें अपने घरों पर रुकाया था और उनकी मदद की थी, पर वनविभाग ने उन्हें हमारी ही जमीन दे दी। यह अलग बात है कि हमारे पास जमीन का पट्टा नहीं था लेकिन हम बरसों से उस पर खेती कर रहे थे। वनविभाग ने भी हमें नही रोका और अचानक हमारी जमीन धांई वालों को दे दी।''

ग्रामीणों का कहना है कि उनके पास जिंदा रहने के लिए मेहनत–मजदूरी के अलावा कोई और चारा ही नहीं बचा है। महिलाएं जंगल से सिरगट्ठा (लकड़ी का गट्ठा) बेचकर अपने बच्चों का पेट पाल रही हैं जिसमें दो दिन का समय और कड़ी मेहनत लगती है। सिर पर बोझा रखकर 8 किलोमीटर दूर सेमरी हरचंद में बेचना पड़ता है।

धांई और डोबझिरना दोनों में गांवों का आपसी रिश्ता भारत–पाकिस्तान जैसा हो गया है। एक–दूसरे से बात की तो छोड़ दीजिए वे एक–दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते हैं। इतना ही नहीं वे न एक दूसरे के गांवों में आते–जाते हैं और न कभी एक–दूसरे के तीज–त्यौहार में शामिल होते हैं। किसान आदिवासी संगठन के फागराम कहते हैं कि अगर वनविभाग धांई वालों को दूसरी जमीन दे देता है तो इस स्थिति से बचा जा सकता था।

सामान्य तौर पर विस्थापन का समाधान पुनर्वास बताया जाता है लेकिन यह इतनी आसान बात नही है जितनी ऊपर से दिखती है। यह एक उलझी हुई प्रक्रिया है। जैसे बोरी अभयारण्य के गांव धांई के लोगों को बसाने के लिए पहले से बसे डोबझिरना के लोगों को जमीन से बेदखल किया गया। यानी एक गांव के विस्थापन का पुनर्वास या व्यवस्थापन दूसरे गांव का विस्थापन बन गया। बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए। देश के जाने–माने पत्रकार भारत डोगरा ने इस पर आश्चर्य जताते हुए लिखा था कि, 'यह विडंबना ही है कि वन्यजीव बचाने की किसी योजना की शुरुआत वन को काटकर की जाए।' लेकिन इस सबके बावजूद धांई का पुनर्वास ठीक से नहीं हुआ है। वे आज भी मजदूरी कर पेट पाल रहे हैं और महिलाएं सिरगट्ठा बेचने पर मजबूर हैं।

समाजवादी जनपरिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील कहते हैं 'वन्य प्राणी संरक्षण की वर्तमान योजनाएं दोषपूर्ण हैं। वन्य प्राणी संरक्षण की योजनाओ में आदिवासियों की भागीदारी की सोच नहीं है। बल्कि उन्हें अपने पारंपरिक अधिकारों से वंचित कर विस्थापित किया जा रहा है। इससे न वन बचेगा और न ही वन्यप्राणी। हम सिर्फ वनविभाग के भरोसे जंगल और जंगली जानवर को नहीं बचा सकते।' उन्होंने सवाल किया कि एक गांव धांई को बसाने के लिए इतना जंगल काटना पड़ा और दूसरे आदिवासियों पर अत्याचार करना पड़ा तो सतपुड़ा टाईगर रिजर्व के 75 गांवों को बसाने के लिए कितना जंगल काटना पड़ेगा? इससे पर्यावरण बचेगा या नष्ट होगा? उनका कहना है मनुष्य और वन्यप्राणियों में आपसी टकराव का कोई अध्ययन नहीं हुआ है। यह एक फैलाया गया अंधविश्वास है। इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी नहीं है। इसलिए वन्य जीव संरक्षण के लिए विस्थापन का कोई औचित्य नहीं है। शेर बचाने के लिए मनुष्य को जंगल से भगाने की भी जरूरत नहीं है। ***(सप्रेस)***

नोट : लेख का उपयोग होने पर कतरन एवं पारिश्रमिक की राशि **'सर्वोदय प्रेस सर्विस'** के नाम भेजें।